

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4225 सन् 2026**

सुनील कुमार वर्मा

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अवधेश कुमार पाल

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पाल तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्रीमती रंजना श्रीवास्तव को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन, पुलिस थाना पिहानी, जिला हरदोई में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 181 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता में प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।
3. उपरोक्त मामला दिनांक 10.04.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि शिकायतकर्ता एम०ए०,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बी०एड० की उपाधि धारक है। उसका विवाह प्रार्थी के साथ तय हुआ था और बरीक्षा की रस्म संपन्न हुई थी। इसके पश्चात, प्रार्थी शिकायतकर्ता के किराए के आवास पर आने-जाने लगा और उसने उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। अंततः, प्रार्थी ने तिलक की रस्म में 11 लाख रुपये की मांग की और चूंकि शिकायतकर्ता के परिवार वाले इस मांग को पूरा नहीं कर सके, इसलिए वैवाहिक संबंध टूट गया तथा दोनों पक्षों के सामान वापस कर दिए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रार्थी अपने मोबाइल फोन में उपलब्ध तस्वीरों के बल पर उसे प्रताड़ित कर रहा है।

4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित शिकायतकर्ता के बयान में, उसने उल्लेख किया कि प्रार्थी शिकायतकर्ता का दूर का रिश्तेदार है और वह पिछले चार वर्षों से प्रार्थी को पसंद करती थी। उसका विवाह लगभग दो वर्ष पूर्व प्रार्थी के साथ तय हुआ था, परंतु दहेज की मांग किए जाने के कारण वैवाहिक संबंध टूट गया और उसे मानहानि का सामना करना पड़ा। उसने बयान दिया कि उन दोनों ने अनेक अवसरों पर शारीरिक संबंध बनाए थे।

5. शिकायतकर्ता की चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट में चोट का कोई निशान या बल प्रयोग का कोई संकेत नहीं है। चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की आयु 35 वर्ष है।

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित शिकायतकर्ता के बयान में, उसने अपने पूर्व कथन को पुनः दोहराया।

7. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी एक निर्दोष व्यक्ति है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि हुई है तथा दिनांक 30.04.2026 को आरोप-पत्र न्यायालय में पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता एक सुशिक्षित, वयस्क महिला है, जिसकी आयु 35 वर्ष है और उसने प्रार्थी से विवाह किए बिना स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए, शिकायतकर्ता और प्रार्थी के बीच दीर्घकालिक संबंध थे, उनका विवाह तय हुआ था जो संपन्न नहीं हो सका, प्रथम दृष्टया ऐसा कोई संकेत नहीं है कि प्रारंभ से ही प्रार्थी की मंशा शिकायतकर्ता को धोखा देने की थी, तथा प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 11.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मेरा यह मत है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. प्रार्थी- सुनील कुमार वर्मा को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए: -

(i) प्रार्थी अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) प्रार्थी अभियोजन के गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा;

(iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून, 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।